



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232894
CG-DL-E-25012022-232894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]
No. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/MAGHA 5, 1943

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 45(अ).— पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है और भारत में बैंककारी कारबार कर रहा है;

और चूंकि सितम्बर, 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड में हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों द्वारा कपट की कतिपय घटनाओं का पता चलने के पश्चात् और परिणामतः निरीक्षणों से अस्थिर वित्तीय स्थिति का जिसके अंतर्गत उस बैंक की पूँजी के पूर्ण क्षरण और सारवान जमाराशियों में क्षरण का पता चला था ;

और चूंकि रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अधीन पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड को 23 सितम्बर, 2019 को कारबार बंद करने के समय से 'सर्व समावेशी निदेश' जारी किए थे जिससे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक में उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग या अपयोजन न हो,;

और चूंकि यह पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड के बोर्ड स्तर पर प्रबंधन की असफलता का मामला था, रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36कक की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 सितम्बर, 2019 को बैंक के निदेशक बोर्ड को अधिष्ठित कर दिया और उसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त कर दिया;

और चूँकि रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45, जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या बैंककारी कंपनी का प्रबंधन संरक्षित करने हेतु, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, बैंककारी कंपनियों (जिसके अंतर्गत सहकारी बैंक भी हैं) के पुनर्गठन या समामेलन की स्कीम तैयार करने हेतु सशक्त करता है;

और रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वर्तमान स्थिति में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड के समामेलन की स्कीम तैयार करना अपेक्षित है;

और चूँकि 'संयुक्त विनिधानकर्ता' के रूप में रेजिलियंट इन्वोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने संप्रवर्तकों के रूप में, संप्रवर्तक द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी नए स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समामेलन की किसी उपयुक्त स्कीम के माध्यम से फरवरी, 2021 के मास में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण करने में हित अभिव्यक्त किया था ;

और चूँकि उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसरण में, 'संयुक्त विनिधानकर्ता' के रूप में रेजिलियंट इन्वोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संप्रवर्तित किए गए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संयुक्त विनिधानकर्ता' कहा गया है) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को बैंककारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी ।

और चूँकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(ग) के अधीन बैंककारी कारबार 1 नवम्बर, 2021 से करना आरंभ कर दिया है;

और चूँकि 'संयुक्त विनिधानकर्ता' के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के संप्रवर्तकों ने 1 नवम्बर, 2021 को 1105.10 करोड़ रुपए की पूँजी का निषेचन किया है।

इसके अतिरिक्त, उसके धारकों द्वारा आठ वर्षों की कुल अवधि के भीतर किसी भी समय प्रयोग किए जा सकने वाले 1900 करोड़ रुपए के इक्विटी वारंट अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए संप्रवर्तकों को 1 नवम्बर, 2021 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए गए हैं;

और चूँकि रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार संबंधित बैंकों को प्रारूप में उक्त स्कीम को भेजने के पश्चात् और उक्त स्कीम के संबंध में प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, इसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा था ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित स्कीम को मंजूरी देती बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) स्कीम, 2022 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएं**--(1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत तारीख" से 25 जनवरी , 2022 अभिप्रेत है;

(ग) "आस्ति खाता" से स्कीम में यथा उपबंधित अंतरक बैंक के दायित्वों का समय-समय पर समायोजन करने के पश्चात् अधिशेष या कमी को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए स्कीम के पैरा 5 के उपपैरा (3) के अधीन खोला गया कल्पित खाता अभिप्रेत है;

(घ) "पात्र जमाकर्ताओं" से ऐसे जमाकर्ता अभिप्रेत हैं जिनकी जमाराशियां निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) के अधीन बीमित हैं;

(ङ.) "संस्थागत जमाकर्ताओं" से ऐसे निगम, कंपनियां, भागीदार फर्म, समितियां, व्यक्तियों के संगम, न्यास और सभी अन्य जमाकर्ता अभिप्रेत हैं जो खुदरा जमाकर्ता नहीं हैं;

(च) "खुदरा जमाकर्ताओं" से ऐसे जमाकर्ता अभिप्रेत हैं, जो बैंक में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जमाराशियां रखते हैं, चाहे एकल रूप में या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में, और इसके अंतर्गत स्वत्वधारी फर्में और अविभक्त हिंदु कुटुंब (एचयूएफ) भी हैं;

(छ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(ज) "स्कीम" से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन)स्कीम , 2022 अभिप्रेत है;

(झ) "अंतरक बैंक" से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड अभिप्रेत है, जो बहुराज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है;

(ञ) "अंतरिती बैंक" से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में निगमित और नई दिल्ली में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली कंपनी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. **आस्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण और उसका साधारण प्रभाव:** (1) नियुक्ति की तारीख से ही, अंतरणकर्ता बैंक का उपक्रम अंतरित हो जाएगा और अंतरिती बैंक में निहित हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के कारोबार, आस्तियां (मूर्त और अमूर्त सहित), सम्पदा, अधिकार, हक, ब्याज, शक्तियां, दावे, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकरण, परमिट, अनुमोदन, अनुमति, प्रोत्साहन, ऋण, सब्सिडी, रियायतें, अनुदान, स्वतंत्रता, विशेष प्रास्थिति और अन्य विशेषाधिकार और सभी संपत्ति, चल और अचल, वास्तविक और व्यक्तिगत, मूर्त और अमूर्त, साख, कॉपीराइट, नकद शेष, पूंजी, आरक्षित निधि, निवेश, व्युत्पत्ती लेनदेन और अन्य सभी अधिकार और हित, या इससे उत्पन्न होने वाली, ऐसी संपत्ति और सभी बौद्धिक संपदा आदि के अधीन आने वाले अधिकार आदि को सम्मिलित हुआ समझा जाएगा। कब्जे वाले या आरक्षित, वर्तमान या आकस्मिक जिस भी प्रकृति का हो और कहीं भी स्थित हो (भारत के भीतर या बाहर), भूमि, वाणिज्यिक या आवासीय परिसर, जुड़नार, वाहन, नकद शेष, जमा, विदेशी मुद्रा, प्रकट और अज्ञात रिजर्व, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, निवेश, शेयर, लाभांश, बांड, डिबेंचर, सुरक्षा सहित किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबंधन, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को ऋण, अग्रिम और प्रतिभूतियों, अन्य किरायेदारी, पट्टे और बही-ऋण और उपक्रमों के संबंध में अंतरिती बैंक की ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो स्कीम के प्रारंभ से ठीक पहले थे, भारत के भीतर या बाहर हस्तांतरणकर्ता बैंक के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, और सभी खातों के लेखे, रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य सभी दस्तावेज जिस भी प्रकृति से संबंधित हों तथा उपक्रमों के संबंध में किसी भी शुल्क, भार, ग्रहणाधिकार या उस पर सुरक्षा के साथ-साथ भारत के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के सभी उधार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और आक्षेप, हस्तांतरणकर्ता बैंक की बहियों और रिकॉर्ड पर विद्यमान हैं, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित को भी सम्मिलित हुआ समझा जाएगा।

(2) जब तक स्कीम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंध नहीं किया जाता है, सभी संविदा, विलेख, बांड, समझौते, अटॉर्नी की शक्तियां, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और अन्य लिखत जिस भी प्रकृति के हों या नियत तारीख से ठीक पूर्व प्रभावी हों, उस सीमा तक प्रभावी होंगे और जिस रीति से इसे इसमें इसके पश्चात् उपबंध किया गया है या अंतरिती बैंक के पक्ष में और हो सकता है कि हस्तांतरणकर्ता बैंक के बजाय मानो कार्य किया गया हो, अंतरिती बैंक उसका एक पक्ष था या मानो वे उसके अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किए गए हों और इस उप-पैरा के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा जो पूर्वोक्त किसी भी लिखत या व्यवस्था का एक पक्ष है।

(3) यदि नियत तारीख पर किसी न्यायालय या अधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई, मुकदमा, डिक्री, वसूली प्रमाण पत्र, अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है, तो उसे समाप्त, बंद या किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, किंतु, स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन, अंतरिती बैंक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 84 के अधीन किसी भी कार्यवाही सहित, जैसे इस तरह की कार्यवाही ऐसे अधिनियम के अधीन कार्यवाही को बनाए रखने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू की गई थी, के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और लागू किया जाएगा:

परन्तु कि जहां किसी कानून के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किया गया हो, या नियत तारीख से पहले हस्तांतरणकर्ता बैंक के निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध दांडिक अपराध के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है, तो ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस तरह

के विधि के अधीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे और तदनुसार दंडित किया जाएगा जैसे कि अंतरिती बैंक को समामेलित नहीं किया गया था।

(4) अंतरिती बैंक के पक्ष में या उसके लाभ के लिए बनाया गया कोई भी सुरक्षा हित, चाहे ऐसा सुरक्षा हित अचल, चल, मूर्त या अमूर्त संपत्ति से अधिक हो, और क्या बंधक, दृष्टिबंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार या किसी अन्य रूप या सुरक्षा हित के सृजन के तरीके के माध्यम से, और हस्तांतरणकर्ता बैंक के पक्ष में या उसके लाभ के लिए सभी गारंटियां, लेटर ऑफ कंफर्ट, साख पत्र या समान लिखत, किसी भी अन्य कार्य, विलेख, साधन या चीज़ के बिना, अंतरिती बैंक में स्थानांतरित और निहित किया जाएगा या अंतरिती बैंक में स्थानांतरित और निहित माना जाएगा, और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से जारी रहेगा और इसे पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है जैसे अंतरिती बैंक के बजाय, अंतरिती बैंक लाभार्थी या उसका पक्षकार रहा हो, और लाभ अंतरिती बैंक को इस प्रकार उपलब्ध होगा मानो वह प्रारंभ से ही अंतरिती बैंक के पक्ष में सृजित किया गया हो और इस उप-पैरा के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए किसी भी क्षमता में संबंधित किसी भी व्यक्ति या ऐसी सुरक्षा बनाने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) जहां तक विभिन्न प्रोत्साहन, सब्सिडी, छूट, जिसमें माल और सेवा कर लाभ, आयकर अवकाश या लाभ या हानि और अन्य लाभ या छूट या विशेषाधिकार सम्मिलित हैं जो अंतरिती बैंक द्वारा प्राप्त या प्राप्त किए गए हैं, वही बिना किसी और अधिनियम या विलेख के होगा, उसी नियम और शर्तों पर अंतरिती बैंक के साथ निहित और उपलब्ध रहें जैसे उसे आवंटित या स्वीकृत या स्वीकृत या हस्तांतरिती बैंक को अनुमति दी गई थी।

(6) यदि, भारत के बाहर किसी देश की विधि के अनुसार, इस स्कीम के उपबंध, अपने आप में, उस देश में स्थित किसी भी आस्ति या दायित्व को स्थानांतरित करने या निहित करने के लिए प्रभावी नहीं हैं, जो अंतरिती बैंक को या अंतरिती बैंक के उपक्रम का हिस्सा है, ऐसी आस्ति या दायित्व के संबंध में अंतरणकर्ता बैंक के कार्य, नियत तारीख पर, अंतरिती बैंक के तत्समय प्रवृत्त के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपे जाएंगे और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे सभी कार्य और चीजें कर सकते हैं जो अंतरिती बैंक द्वारा ऐसी आस्तियों को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के प्रयोजन से किया जाता या किया जाता और ऐसे दायित्वों का निर्वहन और ऐसे हस्तांतरण या निहित करने के प्रयोजन से भारत के बाहर किसी भी ऐसे देश की विधि द्वारा आवश्यक सभी कदम उठाएंगे और इसके संबंध में, या तो स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी भी आस्ति की वसूली कर सकता है या अंतरिती बैंक की किसी भी दायित्व का निर्वहन कर सकता है और उसकी शुद्ध आय अंतरक बैंक को हस्तांतरित करें।

4. **अंतरक बैंक की बहियों को बंद किया जाना और तुलन पत्र तैयार करना:** (1) अंतरक बैंक की बहियां, कारबार के बंद हो जाने पर और संतुलित पर 22 नवंबर, 2021 को प्रथमतः बंद कर दी जाएंगी और तत्पश्चात् नियत तारीख से ठीक पूर्व तारीख को कारबार के बंद हो जाने पर तुलनपत्र की चार्टर्ड अकाउन्टेंट या इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित या नामनिर्देशित चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म द्वारा संपरीक्षा कराई जाएगी और उसे प्रमाणित करवाया जाएगा।

(2) उपपैरा (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया अंतरक बैंक के तुलनपत्र की एक प्रति इसके प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र रजिस्ट्रार के पास अंतरिती बैंक द्वारा फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् अंतरक बैंक से तुलनपत्र या लाभ तथा हानि लेखे तैयार करने या उन्हें इसके सदस्यों के समक्ष रखने या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास उनकी प्रतियां फाइल करने या तुलनपत्र तथा लेखाओं पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए बोर्ड की कोई बैठक या वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. **आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण:** (1) अंतरिती बैंक निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अंतरक बैंक की आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और उनके दायित्वों की गणना करेगा; अर्थात्: -

(क) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिधानों का नियत तारीख से ठीक पहले के दिन पर विद्यमान बाजार दरों पर मूल्यांकन किया जाएगा;

(ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नियत तारीख से ठीक पहले वाले दिन को किया जाएगा;

(ii) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर प्रमाण पत्र, राजकोष बचत जमा पत्र और केंद्रीय सरकार की लघु बचत योजनाओं के अधीन जारी किसी भी अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाण पत्र का मूल्य उक्त तारीख को उनके अंकित मूल्य या नकदीकरण योग्य मूल्य पर, जो भी अधिक हो, मूल्यांकित किया जाएगा;

(iii) जहां अंतरक बैंक द्वारा धारित किसी भी सरकारी प्रतिभूति का बाजार मूल्य, जिसके संबंध में मूलधन किस्तों में देय है, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या किसी भी कारण से उसके उचित मूल्य को परिलक्षित करने के रूप में या अन्यथा उचित नहीं माना जाता है, प्रतिभूति का मूल्य इतनी रकम पर होगा जैसा कि मूलधन की किस्तों और शेष ब्याज, वह अवधि जिसके दौरान ऐसी किस्तें देय होती हैं, सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति की प्राप्ति का संबंध है और एक ही या लगभग एक ही परिपक्वता और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत समझा जाता है;

(ग) जहां किसी भी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य कारकों से प्रभावित होने के कारण युक्तियुक्त नहीं माना जाता है, का मूल्यांकन उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किसी भी उचित अवधि में किया जा सकता है;

(घ) जहां किसी भी प्रतिभूति, शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिचिह्नित नहीं है, केवल ऐसे मूल्य का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त समझे जाने पर विचार किया जाएगा, जैसा कि जारी करने वाले की वित्तीय स्थिति के संबंध में उचित माना जाता है, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इसके द्वारा संदत्त लाभांश और अन्य सुसंगत कारक;

(ङ.) परिसर और अन्य सभी स्थावर संपत्तियों और दावों की तुष्टि करने में अर्जित किसी भी आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जाएगा;

(च) फर्नीचर और फिक्स्चर, स्टॉक में स्टेशनरी और अन्य आस्तियों, यदि कोई हो, का मूल्यांकन किताबों या वसूल योग्य मूल्य के अनुसार अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा जैसा कि युक्तियुक्त माना जाए;

(छ) क्रय किए गए और भित्तिकाय किए गए बिलों सहित अग्रिम, ऋण, विविध आस्तियों, और अन्य सभी शेष मूर्त/अमूर्त आस्तियों की अंतरिती बैंक और प्रतिभूतियों द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें अंतरिती बैंक द्वारा परीक्षा और सत्यापन के लिए कवर के रूप में आयोजित गारंटी सम्मिलित है। तत्पश्चात्, उसके कुछ हिस्सों सहित अग्रिमों को दो प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् "अग्रिमों को अच्छा और आसानी से वसूली योग्य माना जाता है" और "अग्रिमों को आसानी से वसूली योग्य नहीं माना जाता है और/या खराब या वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है"।

(2) (क) जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन नियत तारीख पर अवधारित नहीं किया जा सकता है, इसे रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बाद की तारीख में वसूली योग्य आस्ति के रूप में आंशिक या पूर्ण रूप से माना जा सकता है;

(ख) किसी आस्ति के मूल्यांकन और/या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/या किसी दायित्व के निर्धारण के संबंध में किसी भी असहमति की स्थिति में, मामला रिजर्व बैंक को उसकी राय के लिए भेजा जाएगा, परन्तु कि जब तक ऐसी राय प्राप्त होती है, तो अंतरिती बैंक द्वारा मद या उसके हिस्से का मूल्यांकन योजना के प्रयोजन के लिए अनंतिम रूप से अपनाया जाएगा;

(ग) ऐसा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति में यह रिजर्व बैंक के लिए सक्षम होगा, ताकि ऐसी तकनीकी सलाह प्राप्त की जा सके, क्योंकि यह आस्ति के किसी भी ऐसे मद के मूल्यांकन या दायित्व के किसी भी मद के अवधारण के संबंध में उपयुक्त होने पर विचार कर सकता है और ऐसी सलाह प्राप्त करने की लागत अंतरक बैंक की आस्तियों में से पूर्ण रूप से देय होगी।

(3) अंतरिती बैंक नियत तारीख पर "आस्ति खाते" के रूप में एक खाता खोलेगा, जिसमें इस पैरा के अनुसार तत्काल वसूली योग्य आस्ति के रूप में अवधारित आस्ति के मूल्य का व्यपदिष्ट करने वाली समग्र रकम जमा की जाएगी।

(4) योजना के प्रयोजनों के लिए दायित्वों में आकस्मिक दायित्व सहित सभी दायित्व सम्मिलित शामिल होगी, जिन्हें नियत तारीख को या उसके पश्चात् अंतरिती बैंक को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है और अंतरिती बैंक की बहियों में प्रारंभिक मान्यता के लिए दायित्वों के मूल्य (बीमाकृत जमाकर्ताओं के संदाय के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रति दायित्व सहित) का अवधारण करने में रिजर्व बैंक द्वारा माप का आधार तय किया जा सकता है और इसमें ऐतिहासिक लागत, वर्तमान लागत, निपटान मूल्य, वर्तमान मूल्य या कोई अन्य माप आधार सम्मिलित हो सकती है।

(5) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण, अंतरक और अंतरिती बैंकों के सभी पणधारियों के लिए बाध्यकारी होगा।

6. अंतरक बैंक के दायित्व का निर्वहन-- (1) निम्नलिखित के संबंध में,--

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारीवृंद प्रतिभूति जमाओं के रूप में उस बैंक के पास नियत तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, सहित जमा कोई राशि पूर्णतः संदत्त की जाएगी या अंतरक बैंक द्वारा उसके लिए उपबंध किया गया है; यदि कर्मचारी ने अंतरिती बैंक की सेवाएं जारी न रखने का चुनाव किया।

(ख) अंतरक बैंक के पास प्रत्येक बचत खाता या चालू खाता या कोई अन्य जमा खाता, जिसके अंतर्गत सावधि जमा, नकद प्रमाणपत्र, मासिक जमा या मांग किए जाने या अल्प सूचना पर संदेय जमा या कोई अन्य जमा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अंतरिती बैंक नियत तारीख को अपने पास 31 मार्च, 2021 तक अर्जित ब्याज सहित उसमें पूर्ण रकम जमा करके उसके संबंधित धारकों के नाम तत्स्थानी और बैसा ही खाता खोलेगा:

परन्तु जहां अंतरिती बैंक को किसी विशिष्ट खाते में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका है, तो वहां यह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, नियत तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान उस खाते में की जाने वाली जमा को रोक सकेगा, जिसके अंदर अंतरिती बैंक ऐसे खाते के शुद्ध अतिशेष को अभिनिश्चित करेगा।

(ग) अंतरिती बैंक भुगतान करेगा -

(i) अंतरक बैंक के सभी पात्र जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से प्राप्त रकम, जो उनके जमा खातों में अतिशेष रकम के बराबर होगी या 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र), जो भी कम हो, ऐसी रकमों के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम नियमों के अनुसार वितरण;

(ii) नियत तारीख से पहले वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अलावा, उनके जमा खाते में अतिशेष रकम के बराबर अतिरिक्त रकम या 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र), जो भी कम हो, अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं को केवल मांग पर;

(iii) नियत तारीख से दो वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अलावा, उनके जमा खाते में अतिशेष रकम के बराबर अतिरिक्त रकम या 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र), जो भी कम हो, अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं को केवल मांग पर;

(iv) नियत तारीख से तीन वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतानों के अलावा, उनके जमा खाते में अतिशेष रकम के बराबर एक अतिरिक्त रकम या 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र), जो भी कम हो, अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं को केवल मांग पर;

(v) नियत तारीख से चार वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अलावा, उनके जमा खाते में अतिशेष रकम तक एक अतिरिक्त रकम या 2,50,000 रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र), जो भी कम हो, अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं को केवल मांग पर;

(vi) नियत तारीख से पांच वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अलावा, उनके जमा खाते में अतिशेष रकम तक एक अतिरिक्त रकम या 5,50,000 रुपये (पांच लाख पचास हजार रुपये मात्र), जो भी कम हो, अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं को केवल मांग पर;

(vii) जमा रकम की पूरी अतिशेष रकम (जैसा कि खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित हैं, भुगतान करने के पश्चात्, मांग करने पर नियुक्त तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् अंतरक बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं के खातों में।

(घ) 31 मार्च, 2021 के पश्चात् नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् 2.75% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, अंतरक बैंक सहित किसी ब्याज वाले जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में शेष रकम का संदाय नियत तारीख से पांच वर्ष की तारीख को देय होगा।

(ङ) किसी चालू खाता या किसी अन्य गैर-ब्याज वाले लेखा में अतिशेष के संबंध में, लेखाधारकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा, सिवाय इसके पांच साल की अवधि के पश्चात् के 2.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज खुदरा जमाकर्ताओं के अतिशेष का संदाय उसी रीति से किया जाएगा जैसे ब्याज वाले लेखाओं पर लागू होता है।

(च) नियत तारीख से, अंतरक बैंक के प्रत्येक संस्थागत जमाकर्ता के प्रत्यय के लिए बकाया (विभिन्न खातों में कुल) का 80 प्रतिशत अंतरिती बैंक के स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें वार्षिक देय एक प्रतिशत प्रति वर्ष लाभांश होगा।

(छ) नियत तारीख से 10 वर्ष के अंत में, अंतरिती बैंक 31 मार्च, 2021 को एक प्रो राटा आधार पर अंकित मूल्य पर पीएनसीपीएस के वापसी खरीद के लिए एचडीआईएल ग्रुप से संबंधित अग्रिमों की मूल रकम से अधिक में एचडीआईएल ग्रुप से संबंधित आस्तियों से 'नेट कैश रिक्वरी' (ऐसी वसूली से संबंधित कुल खर्च) का उपयोग करेगा।

(ज) 21वें वर्ष के अंत से, अंतरिती बैंक पीएनसीपीएस के बकाया मूलराशि को प्रति वर्ष स्कीम के अधीन जारी कुल पीएनसीपीएस के कम से कम 1% की दर से खरीदेगा, परन्तु निम्नलिखित शर्तों से संतुष्ट हों, अर्थात्:-

(i) इस स्कीम के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पक्ष के अंतरक बैंक से संबंधित सभी पुनर्गठित दायित्वों को पूरी तरह से चुकाया जाता है;

(ii) अंतरिती बैंक का पूँजी अनुपात उस समय लागू विनियामक न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम 300 आधार अंक अधिक है;

(iii) अंतरिती बैंक की निवल अनर्जक आस्ति उस समय रिजर्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विहित सीमा से कम से 200 आधार अंक कम हैं;

(iv) एचडीआईएल ग्रुप से संबंधित आस्तियों से 31 मार्च, 2021 तक एचडीआईएल ग्रुप को अग्रिमों की मूल रकम की न्यूनतम 'नेट केश रिक्वरी' अग्रिमों की मूल रकम का 70 प्रतिशत से अधिक है।

(v) पीएनसीपीएस का वापसी-खरीद पिछले वर्ष के लिए अंतरिती बैंक के वार्षिक कुल लाभ के 10% पर बना रहेगा।

(झ) संस्थागत जमारकम की अतिशेष 20 प्रतिशत राशि को 1 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर अंतरिती बैंक के इक्विटी वारंट में परिवर्तित किया जाएगा। इन इक्विटी वारंट को आगे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के समय अंतरिती बैंक के इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाएगा जब अंतरिती बैंक लोक निर्गम के लिए जाता है। इस तरह के परिवर्तन के लिए कीमत आरंभिक सार्वजनिक निर्गम मूल्य के निचले बैंड पर अवधारित किया जाएगा।

(2) ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए दावों सहित अंतरक बैंक को प्रत्येक अन्य दायित्व के संबंध में, अंतरिती बैंक नियुक्त समझौतों या नियत तारीख से पहले उनके बीच सहमत निबंधनों और शर्तों के संदर्भ में लेनदारों को नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर केवल मूल रकम का भुगतान करेगा।

(3) "आस्ति खाता" में प्रत्यय अतिशेष का विनियोग को इस पैरा के अधीन दायित्वों को चुकाने के लिए अपेक्षित सीमा तक सैद्धांतिक रूप से लागू किया जाएगा और यदि आस्ति खाते में अतिशेष पर्याप्त नहीं है, तो कमी के उतने भाग को अंतरिती बैंक द्वारा व्यय की गई रकम समझा जाएगा।

7. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के समामेलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन:- (1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 47 के उपबंधों) और उसके अधीन बताए गए विनियमों के अनुसार, अंतरक बैंक के पात्र जमाकर्ताओं (नियत तारीख के अनुसार) के कारण अंतरिती बैंक को रकम का संदाय करेगा।

(2) अंतरिती बैंक के पास नियत तारीख से 20 वर्ष तक का समय होगा, ताकि बीमित जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए डीआईसीजीसी से प्राप्त रकम का पुनर्संदाय किया जा सके, जो एक किस्त में या कई किस्तों में किया जा सकता है। अंतरिती बैंक अपनी बहियों में एक आरक्षित खाता बनाएगा और इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के प्रयोजन से जैसा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाए कालिक अंतरण बनाएगा।

8. अंतरक बैंक के सदस्यों और लेनदारों के अधिकार और दायित्वों: (1) नियत तारीख से ही समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षिती और आधिक्य अंतरक बैंक की संपूर्ण रकम को बट्टे खाते में डाला जाएगा।

(2) नियत तारीख से, अंतरक बैंक के दीर्घावधि जमा (टियर II पूंजी लिखत) में बकाया शेष राशि को प्रवलता से परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस स्कीम के पैरा 6 के उप पैरा (1) को खण्ड (ड.) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(3) नियत तारीख से अंतरक बैंक इस स्कीम के प्रवर्तन के कारण अस्तित्व में नहीं रह जाएगा।

9. अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और बाध्यताएं - (1) अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के निबंधनों और शर्तों पर बने रहेंगे, जैसा कि नियत तारीख पर कारोबार बंद होने से ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों को लागू थी:

परन्तु अंतरक बैंक के कर्मचारी, जिन्होंने लिखित सूचना द्वारा अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक को नियत तारीख के पश्चात् अगले एक मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न बनने की अपने आशय की सूचना दी थी, ऐसे प्रतिकर, यदि कोई हों, का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने और ऐसी पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और ऐसे अन्य सेवानिवृत्ति फायदों, जो नियत तारीख को कारोबार बंद होने से ठीक पूर्व प्रवर्त अंतरक बैंक के नियमों या प्राधिकारों के अधीन साधारणतया अनुज्ञेय हैं, हकदार होंगे:

परन्तु यह और कि बैंक अंतरक बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की सेवाओं को जारी रखना सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियत तारीख के बाद किसी भी समय समाप्त कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे और उनके नियोजन के निबंधनों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समनुदेशित किया जाएगा और यदि कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई विशेष पद पृथक् रूप से पदामिहित उस प्रवर्ग में आता है या नहीं, तो यह विषय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय संबंधित सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(2) अंतरिती बैंक नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक, उक्त कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक और वही सेवा के निबंधन और शर्तें संदाय या अनुदत्त करेगा, अंतरिती बैंक के उक्त कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के अंतरिती बैंक के अन्य कर्मचारियों के समान या समतुल्य रहने की शर्त के अधीन रहते हुए, तत्स्थानी रैंक या समान प्रास्थिति के कर्मचारियों को लागू ऐसा संदाय करेगा या अनुदान करेगा।

(3) अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया समझा गया है, के संबंध में अंतरक बैंक की सेवा में रहते हुए उनके छंटनी किए जाने की दशा में उनके लिए छंटनी प्रतिकर के दायित्व को भी अंतरिती बैंक द्वारा उनकी सेवा के जारी रहने के आधार पर लिया गया समझा जाएगा और यदि उसे अंतरक बैंक को उनके अंतरण द्वारा बाधित नहीं किया गया होता।

(4) अर्हताओं और अनुभव के समतुल्य होने का पता लगाने के प्रयोजन के लिए और अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फिटमेंट का अंतरिती बैंक के समुचित संवर्ग में सुझाव देने के लिए अंतरिती बैंक, यथासंभवशीघ्र, एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा और आवश्यक नीति की विरचना करते हुए उसकी सिफारिशों पर विचार करेगा।

परंतु यदि उक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की अर्हता और अनुभव अंतरिती बैंक के तत्स्थानी रैंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के समतुल्य है या उक्त कर्मचारियों के वेतन को अंतरिती बैंक के वेतनमान में नियत करने के लिए अंगीकृत प्रक्रिया या सिद्धांत के संबंध में कोई शंका या अंतर उत्पन्न होती है तो शंका या अंतर को रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि, उपदान निधि के न्यासी या प्रशासक, अंतरक बैंक, नियत तारीख के पश्चात् या यथास्थिति, अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारियों की भविष्य निधि या उपदान निधि या पेंशन निधि के न्यासियों में या अन्यथा जैसा कि अंतरिती बैंक निर्देश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सभी धन और विनिधान अंतरित हो जाएंगे।

परंतु बाद के ऐसे न्यासी इस स्कीम के प्रारंभ की तारीख से पहले विनिधानों के मूल्य में किसी कमी या किसी कृत्य, उपेक्षा या किए गए व्यतिक्रम के लिए दायी नहीं होंगे।

10. **जमाकर्ताओं या लेनदारों द्वारा मांग:-** अंतरक बैंक का कोई जमाकर्ता या लेनदार अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के विरुद्ध उसके प्रति अंतरक बैंक के किसी दायित्व के संबंध में, सिवाय स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट परिमाण का कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा।

11. **अंतरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन:**

अंतरिती बैंक के पास अंतरक बैंक की शाखाओं का अपनी सुविधानुसार आमेलन करने का विकल्प होगा और वह रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अंतरक बैंक की विद्यमान शाखाओं को बंद कर सकेगा या स्थानांतरित कर सकेगा।

12. **विवरण और सूचना प्रस्तुत करना:-** अंतरिती बैंक, रिजर्व बैंक को ऐसे विवरण और सूचना प्रस्तुत करेगा जो रिजर्व बैंक द्वारा इस स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर अपेक्षित हो।

13. **नोटिस तामील करने की रीति:-** अंतरिती बैंक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस या अन्य संसूचना को सम्यकतः दिया गया समझा जाएगा, यदि उसे स्पीड पोस्ट या किसी कुरियर या पूर्व संदत्त साधारण डाक या ई-मेल द्वारा या अन्यथा पता लिखा हुआ और प्रेषिती को अंतरिती बैंक की लेखाबहियों में रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजा गया है जब तक अंतरिती बैंक की लेखाबहियों में नया पता रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई नोटिस या संसूचना जो सामान्य हित की है, को उसके अतिरिक्त एक या अधिक दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाएगा जिनका उन स्थानों पर परिचालन है, जहां अंतरक बैंक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है।

14. **स्कीम के उपबंधों का निर्वचन:-** यदि इस स्कीम के उपबंधों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो इस विषय को रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस मुद्दे पर उसके विचार अंतिम होंगे और सभी संबंधित व्यक्तियों पर आवद्धकर होंगे।

[फा.सं. 28/3/2021-बीओए.।]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
(BANKING DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2022

G.S.R. 45(E).—Whereas, Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited is a Multi-State Scheduled Urban Co-operative Bank registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and carrying on the business of banking in India;

And whereas, after detection of certain instances of fraud by Housing Development and Infrastructure Limited and its group companies in the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited in September 2019 and the consequent inspections, the precarious financial condition, including complete erosion of capital and substantial deposit erosion of that bank was revealed;

And whereas, the Reserve Bank issued 'All Inclusive Directions' to the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) with effect from close of business of September 23, 2019 to protect the interest of the depositors and to ensure that the bank's available resources are not misused or diverted;

And whereas, this being a case of failure of management at the level of the Board of the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited, Reserve Bank, in exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 36AAA read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), superseded the Board of Directors of the bank on September 23, 2019 and appointed an Administrator in its place;

And whereas, section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) empowers the Reserve Bank to prepare a scheme of reconstruction or amalgamation of banking companies (which include co-operative banks), if so considered necessary in public interest or in the interest of the depositors or to secure the management of the banking company;

And whereas, the Reserve Bank has come to a conclusion that the present position of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited calls for the preparation of a scheme of amalgamation;

And whereas, Centrum Financial Services Limited, as promoters along with Resilient Innovation Private Limited as 'joint investor', had expressed interest in the month of February 2021 in acquiring the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited through a suitable scheme of amalgamation with a new Small Finance Bank to be registered by the promoter;

And whereas, in pursuance of above objective, Unity Small Finance Bank Limited promoted by Centrum Financial Services Limited along with Resilient Innovation Private Limited as 'joint investor', (hereinafter referred as 'joint investor') was granted banking licence by Reserve Bank under sub-section (1) of section 22 of Banking Regulation Act, 1949 on October 12, 2021.

And whereas, Unity Small Finance Bank Limited has started transacting business of banking under section 5(c) of Banking Regulation Act, 1949 from November 1, 2021;

And whereas, the promoters of Unity Small Finance Bank Limited along with the joint investor have infused a capital of ₹1105.10 crore in Unity Small Finance Bank as on November 1, 2021.;

Further, equity warrants of ₹1900 crore, to be exercised anytime within a total period of eight years by the holders thereof, have been issued by Unity Small Finance Bank Limited on November 1, 2021 to the promoters to bring further capital;

And whereas, the Reserve Bank, after having sent the said Scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the section 45 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said Scheme, had forwarded it to the Central Government for sanction.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby sanctions the following Scheme, subject to the terms and conditions hereafter mentioned, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) This Scheme may be called the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022.
 (2) It shall come into force on 25th day of January, 2022.
2. **Definitions.** — (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "the Act" means the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
 - (b) "appointed date" means the 25th day of January, 2022 ;

- (c) **“asset account”** means a notional account opened under sub-paragraph (3) of paragraph 5 of the Scheme for the purpose of ascertaining the surplus or shortfall after adjustment from time to time of liabilities of the transferor bank, as provided in the Scheme;
- (d) **“eligible depositors”** means depositors whose deposits are insured under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961);
- (e) **“institutional depositors”** means corporations, companies, partnership firms, societies, Association of Persons, Trusts, and all other depositors who are not retail depositors;
- (f) **“retail depositors”** means depositors who hold deposits in the bank in their individual capacity, either singly or jointly with other individual, and include proprietorship firms and Hindu Undivided Families (HUFs);
- (g) **“Reserve Bank”** means the Reserve Bank of India, constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) ;
- (h) **“the Scheme”** means the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022 ;
- (i) **“transferor bank”** means the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited’, a Multi-State Scheduled Cooperative Bank having its Registered Office at Mumbai, Maharashtra;
- (j) **“transferee bank”** means Unity Small Finance Bank Limited (a company incorporated in India under Companies Act 2013 (18 of 2013) and having its Registered Office at New Delhi).

(2) The words and expressions used here in and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Transfer of assets and liabilities and general effect thereof :—** (1) On and from the appointed date, the undertaking of the transferor bank will stand transferred to, and vest in the transferee bank, which shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible), estates, rights, titles, interest, powers, claims, licenses, authorities, permits, approvals, permissions, incentives, loans, subsidies, concessions, grants, liberties, special status and other privileges and all property, movable and immovable, real and personal, tangible and intangible, goodwill, copyright, cash balances, capital, reserve funds, investments, transactions in derivatives and all other rights and interests in, or arising out of, such property and all rights under the intellectual property etc., in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and wheresoever situated (whether within or outside India), including lands, commercial or residential premises, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, any other fund, stocks, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees to any industrial concern, other tenancies, leases and book-debts and all other rights and interests arising out of such property of the transferor bank in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of the Scheme, in the ownership, possession, power or control of the transferor bank within or outside India, and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities, duties and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting on the books and records of transferor bank whether secured or unsecured, along with any charge, encumbrance, lien or security thereon in relation to the undertakings.

(2) Unless otherwise expressly provided in the Scheme, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the appointed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and maybe acted upon as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank thereto and it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any of the aforesaid instruments or arrangements to give effect to the provisions of this sub-paragraph.

(3) If on the appointed date any cause of action, suit, decrees, recovery certificates, appeals or other proceedings of whatever nature is pending by or against the transferor bank before any court or tribunal or arbitrator or any other authority the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall, subject to the other provisions of the Scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank, including any proceedings under Section 84 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, as if such proceedings were initiated by or against a person eligible to maintain the proceedings under such Act :

Provided that where a contravention of any of the provisions of any statute or of any rule, regulation, direction or order made thereunder has been committed by, or any proceeding for a criminal offence has been instituted against a director or secretary, manager, officer or other employee of the transferor bank before the appointed date, such director, secretary, manager, officer or other employee shall be liable to be proceeded against under such law and punished accordingly as if the transferor bank had not been amalgamated.

- (4) Any security interest created in favour of or for the benefit of the transferor bank, whether such security interest be over immovable, movable, tangible or intangible property, and whether by way of mortgage, hypothecation, pledge, lien or any other form or mode of creation of security interest, and all guarantees, letters of comfort, letters of credit or similar instruments in favour of or for the benefit of the transferor bank, shall without any further act, deed, instrument or thing, be transferred to and vested in the transferee bank or be deemed to have been transferred to and vested in the transferee bank, and shall continue to be in full force and effect and may be enforced as fully and effectually as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been the beneficiary or a party thereto, and the benefit shall be available to the transferee bank as if same were ab initio created in favour of the transferee bank and it shall not be necessary to obtain the consent of any person concerned therewith in any capacity whatsoever or of the person who created such security in order to give effect to the provisions of this sub-paragraph.
- (5) In so far as various incentives, subsidies, exemptions, including goods and services tax benefits, income tax holiday or benefit or losses and other benefits or exemptions or privileges enjoyed or availed of by the transferor bank, the same shall without any further act or deed, vest with and be available to the transferee bank on the same terms and conditions as if the same had been allotted or granted or sanctioned or allowed to the transferee bank.
- (6) If, according to the laws of any country outside India, the provisions of this Scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on the appointed date, stand entrusted to the Managing Director and Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Managing Director and Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities and shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith, may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.
4. **Closure of books of the transferor bank and preparation of balance sheet** :— (1) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheet prepared in the first instance as at the close of business on November 22, 2021 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the appointed date, and the balance sheet shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved by the Reserve Bank for the purpose.
- (2) A copy of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of sub-paragraph (1), shall be filed by the transferee bank with the Central Registrar of Cooperative Societies as soon as possible after it has been received and thereafter, the transferor bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts or to lay the same before its members or file copies thereof with the Central Registrar of Cooperative Societies or to hold any board meeting or annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of the Multi-state Cooperative Societies Act, 2002.
5. **Valuation of assets and determination of liabilities**: — (1) The transferee bank shall value the assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely: -
- (a) investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the appointed date;
- (b) (i) the Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the appointed date in accordance with the extant Reserve Bank guidelines;
- (ii) the Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings schemes of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher;
- (iii) where the market value of any Government Security held by the transferor bank in respect of which the principal is payable in instalments, is not ascertainable or is for any reason not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity and other relevant factors;
- (c) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;
- (d) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investments is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of

the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors;

(e) premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value;

(f) the furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable;

(g) advances, including bills purchased and discounted, book debts, sundry assets, and all other remaining tangible/intangible assets will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees held as cover therefor examined and verified by the transferee bank and thereafter, the advances including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery".

(2) (a) Where the valuation of any asset cannot be determined on the appointed date, it may, with the approval of the Reserve Bank, be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date;

(b) In the event of any disagreement as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank, for its opinion, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of the Scheme;

(c) It shall be competent for the Reserve Bank, in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice, as it may consider to be appropriate, in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

(3) The transferee bank shall open on the appointed date an account styled as "asset account", into which shall be credited the aggregate amount representing the value of the assets determined as readily realisable assets in accordance with this paragraph.

(4) Liabilities for purposes of the Scheme shall include all liabilities, including contingent liabilities, which the transferee bank may be required to meet on or after the appointed date and in determining the value of the liabilities (including the liability towards Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for payments to the insured depositors) for initial recognition in the books of the transferee bank, the measurement basis maybe decided by the Reserve Bank and could include historical cost, current cost, settlement value, present value or any other measurement basis.

(5) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on all stakeholders of the transferor and transferee banks.

6. Discharge of liability of transferor bank :— (1) In respect of :

(a) any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits, together with interest, if any, accrued thereon upto the appointed date, shall be paid, in case the employee has chosen not to continue in the services of the transferee bank or provided for in full by the transferor bank;

(b) every savings bank account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor bank, the transferee bank shall open with itself on the appointed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder thereof crediting thereto full amount including interest accrued till March 31, 2021:

Provided that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may, with the approval of the Reserve Bank, withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the appointed date, within which, the transferee bank shall ascertain the correct balance in such account.

(c) The transferee bank shall pay -

(i) the amount received from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation to all the eligible depositors of the transferor bank, which would be an amount equal to the balance in their deposit accounts or ₹5,00,000 (Rupees five lakh only), whichever is less, in accordance with the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation rules of distribution of such amounts ;

(ii) at the end of first year from the appointed date, over and above the payment already made, an additional amount equal to the balance in their deposit account or ₹50,000 (Rupees fifty thousand only), whichever is less, on demand only to the retail depositors of the transferor bank;

(iii) at the end of two years from the appointed date, over and above the payment already made, an additional amount equal to the balance in their deposit account or ₹50,000 (Rupees fifty thousand only), whichever is less, on demand only to the retail depositors of the transferor bank;

(iv) at the end of three years from the appointed date, over and above the payments already made, an additional

amount equal to the balance in their deposit account or ₹1,00,000 (Rupees one lakh only), whichever is less, on demand only to the retail depositors of the transferor bank;

- (v) at the end of four years from the appointed date, over and above the payment already made, an additional amount up to the balance in their deposit account or ₹2,50,000 (Rupees two lakh fifty thousand only), whichever is less, on demand only to the retail depositors of the transferor bank;
- (vi) at the end of five years from the appointed date, over and above the payment already made, an additional amount up to the balance in their deposit account or ₹5,50,000 (Rupees five lakh fifty thousand only), whichever is less, on demand only to the retail depositors of the transferor bank.
- (vii) the entire remaining amount of deposits (after making payment as mentioned in clause (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above in the accounts of the retail depositors of transferor bank after ten years from the appointed date, on demand.
- (d) No interest on any of the interest bearing deposits with the transferor bank shall accrue after March 31, 2021 for a period of five years from the appointed date, and afterwards, simple interest at the rate of 2.75 per cent. per annum shall be paid at the end of each year for the amounts remaining outstanding which shall be payable from the date after five years from the appointed date.
- (e) In respect of balances in any current account or any other non-interest bearing account, no interest shall be payable to the account holders, except that after a period of five years, simple interest at the rate of 2.75 per cent. per annum shall be paid to the balances of the retail depositors in the same manner as applicable to interest bearing deposits.
- (f) On and from the appointed date, 80 per cent. of the uninsured deposits outstanding (aggregate in various accounts) to the credit of each institutional depositor of the transferor bank shall be converted into Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of transferee bank with dividend of one per cent. per annum payable annually.
- (g) At the end of the 10th year from the appointed date, transferee bank will use 'Net Cash Recoveries' (net of expenses related to such recoveries) from assets pertaining to Housing Development and Infrastructure Limited Group in excess of the principal amount of advances to Housing Development and Infrastructure Limited Group outstanding as on March 31, 2021 to buyback Perpetual Non-Cumulative Preference Shares at face value on a pro rata basis.
- (h) From the end of 21st year, transferee bank will buy-back the outstanding principal of the Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, at the rate of at least 1 per cent. of the total Perpetual Non-Cumulative Preference Shares issued under the scheme per annum, provided the following conditions are satisfied, namely:—
- (i) all restructured liabilities pertaining to the transferor bank including those towards Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under the Scheme are fully discharged;
- (ii) capital adequacy ratio of the transferee bank is at least three hundred basis points higher than the regulatory minimum capital-to-risk weighted assets ratio applicable at that point of time;
- (iii) net non-performing assets of transferee bank are at least two hundred basis points lower than the prescribed threshold for Prompt Corrective Action by Reserve Bank at that point of time;
- (iv) minimum 'Net Cash Recovery' of the principal amount of advances to Housing Development and Infrastructure Limited Group as on March 31, 2021 from assets pertaining to Housing Development and Infrastructure Limited Group is more than 70 per cent. of the principal amount of advances;
- (v) the buyback of the Perpetual Non-Cumulative Preference Shares shall be capped at 10 per cent. of the yearly net profit of the transferee bank for the previous year.
- (i) The remaining 20 per cent. amount of the institutional deposits shall be converted into equity warrants of transferee bank at a price of ₹ 1 per warrant and these equity warrants will further be converted into equity shares of the transferee bank at the time of the Initial Public Offer when the transferee bank goes for public issue. The price for such conversion will be determined at the lower band of the Initial Public Offer price.

(2) In respect of every other liability of the transferor bank including the claims not acknowledged as debt, the transferee bank shall pay only the principal amounts within a period of five years from the appointed date to the creditors in terms of the agreements entered or the terms and conditions agreed upon between them prior to the appointed date.

(3) The credit balance in the "asset account" shall be applied notionally to the extent required to meet the liabilities under this paragraph and if the balance in the asset account is not sufficient, so much of the shortfall shall be treated as amount spent by the transferee bank.

7. **Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation to support process of amalgamation.** — (1) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation shall pay to the transferee bank the amount due to the eligible depositors (as on appointed date) of the transferor bank, in accordance with the provisions of the Deposit and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Act 47 of 1961), and the Regulations made thereunder.

(2) The transferee bank shall have time up to 20 years from the appointed date, to repay the amount received from DICGC towards payment to the insured depositors, which can be done in one installment or in several instalments and the transferee bank shall create a reserve account in its books and make periodical transfers to it as may be approved by Reserve Bank, for the purpose of discharging its liability towards Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in accordance with the provisions of this Scheme.

8. **Rights and liabilities of members and creditors of transferor bank:** — (1) On and from the appointed date, the entire amount of the paid-up share capital and reserves and surplus of the transferor bank shall stand written off.

(2) On and from the appointed date, entire amount outstanding in the Long Term Deposits (Tier II Capital instrument) of the transferor bank will be converted into Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and shall be accorded the terms and conditions as specified in clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 6 of this Scheme.

(3) On and from the appointed date, the transferor bank shall cease to exist by operation of this Scheme.

9. **Rights and obligations of employees of transferor bank.** — (1) All the employees of the transferor bank shall continue in service on the same remuneration and terms and conditions of service for a period of three years from the appointed date, as were applicable to such employees immediately before the close of business on the appointed date:

Provided that the employees of the transferor bank, who, have by notice in writing, intimated to the transferor bank or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the appointed date their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules or authorisations of the transferor bank as in force immediately before the close of business on appointed date :

Provided further that the transferee bank may, discontinue the services of the Key Managerial Personnel of the transferor bank after following the due procedure at any time, after the appointed date, as it deems necessary and providing them compensation as per the terms of their employment.

Explanation: For the purposes of this paragraph, the term “Key Managerial Personnel” shall have the meaning assigned to it under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and if any dispute arises as to whether a particular post differently designated falls within that category or not, the matter shall be referred to the Reserve Bank, whose decision shall be final and binding on all the parties concerned.

- (2) The transferee bank shall, not later than the expiry of the period of three years from the appointed date, pay or grant, to the said employees the same remuneration and the same terms and conditions of service as are, at the time of such payment or grant, applicable to the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank, subject to the qualifications and experience of the said employees being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank.
- (3) The transferee bank shall, in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank, be deemed also to have taken over the liabilities for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank, on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.
- (4) For the purposes of assessing the equivalence of qualification and experience and suggesting fitment of employees of the transferor bank in an appropriate cadre in the transferee bank, the transferee bank shall, as soon as possible, constitute an expert committee and may take into account its recommendations while framing necessary policy :

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of pay of the said employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank whose decision thereon shall be final.

- (5) The trustees or administrators of any provident fund and gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank, or as the case may be, the transferor bank, shall on or as soon as possible after the appointed date transfer to the trustees of the employees' provident fund and gratuity fund constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank :

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect or default done before the date of commencement of this Scheme.

10. **Demand by Depositors or Creditors:** — No depositor or creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent specified by this Scheme.
11. **Reorganisation of branches of transferor bank:** — The transferee bank shall have the option of merging branches of transferor bank according to its convenience and may close down or shift the existing branches of the transferor bank, as per the extant instructions issued by the Reserve Bank.
12. **Furnishing statements and information:** —The transferee bank shall submit to the Reserve Bank such statements and information as may be required by the Reserve Bank from time to time regarding the implementation of this Scheme.
13. **Manner of service of notice :**— Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by speed post or by courier or by pre-paid ordinary post or by e-mail or otherwise to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank. Additionally, any notice or communication, which is of general interest shall be advertised, in one or more daily newspapers, which may be in circulation at the places where the registered office of transferor bank is situated.
14. **Interpretation of the provisions of the Scheme.**—If any doubt arises in the interpretation of the provisions of this Scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank and its views on the issue shall be final and binding on all concerned.

[F. No. 28/3/2021-BOA.I]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.